



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ।
CIN:U32201UP1999SGC024928

संख्या: 4073-अ0प्र0-07/पा0का0लि0/16-05-अ0प्र0-07/15(टी.सी.)

दिनांक 07/12/2016

शुद्धि पत्र

मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत) के पत्र संख्या-720-अनु0-प्रथम/विविध/16, दिनांक 30.11.2016 द्वारा प्रेषित संस्तुति के आधार पर कारपोरेशन के पूर्व में निर्गत कार्यालय ज्ञाप सं0-3149-अ0प्र0-07/पाकालि/16-05अ0प्र0-07/15, दिनांक 19.08.2016 द्वारा प्रोन्नत अवर अभियन्ताओं की सूची के क्रम-8 पर अंकित श्री सर्वेश कुमार पुत्र श्री किशन लाल (वरि0 क्र0-8833) एवं तदक्रम में पूर्व में निर्गत कारपोरेशन के शुद्धि पत्र सं0-3337-अ0प्र0-07/पाकालि/16-05अ0प्र0-07/15, दिनांक 06.09.2016 में इंगित अवर अभियन्ता, श्री सर्वेश कुमार (वरि0 क्र0-8833) के नाम एवं पिता के नाम के स्थान पर श्री सर्विस कुमार पुत्र श्री किशन पाल पढ़ा जाये।

2. उपरोक्त सन्दर्भित कार्यालय ज्ञाप सं0-3149, दिनांक 19.08.2016 एवं सं0-3337, 06.09.2016 में वर्णित अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)

संख्या:-4073(1)-अ0प्र0-07/पा0का0लि0/16, तददिनांक:

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल/मध्यांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल/केस्को, विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/लखनऊ/मेरठ/आगरा/कानपुर।
3. मुख्य अभियन्ता (ज्ञानपद पारिषण-प्रथम/द्वितीय), उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता एवं महानिदेशक, प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0 पा0का0लि0, सरोजनीनगर, लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. उपसचिव (अ0प्र0-03/04/गोपन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. अधिशासी अभियन्ता (website) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. अनुभाग अधिकारी (अ0प्र0-03/04), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को वैयक्तिक पत्रावली हेतु।
10. सम्बन्धित अधिकारी।
11. गार्ड फाईल/कट फाईल।

आज्ञा से,

(इन्द्रमणि)

उप सचिव